



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 17.02.2021

1-थाना दादरी पुलिस व चिकित्सा विभाग सीएचसी दादरी की टीम द्वारा बिना अनुमति कोरोना वैक्सीन का कैम्प व टीका लगा रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नकली कोरोना वैक्सीन व अन्य उपकरण बरामद।

दिनांक 16.2.2021 को थाना दादरी पुलिस व चिकित्सा विभाग सीएचसी दादरी की टीम द्वारा बिना अनुमति कोरोना वैक्सीन का कैम्प व टीका लगा रहे 04 अभियुक्त 1. रिजवान अली पुत्र इरफान अली 2. सुधाकर यादव पुत्र शेषनाथ यादव 3. सुरेश कुमार सिंह पुत्र जगदम्बा प्रसाद 4. संजय श्रीवास्तव पुत्र कन्हैयालाल श्रीवास्तव को थाना क्षेत्र के गोपाल पैथोलोजी लैब निकट सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया जीटी रोड दादरी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से नकली कोरोना वैक्सीन व अन्य उपकरण बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. रिजवान अली पुत्र इरफान अली निवासी सूजड़ थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर वर्तमान पता कैला भट्टा गाजियाबाद।
2. सुधाकर यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी चैराकटघरा थाना अमानी जिला आजमगढ वर्तमान पता कैला भट्टा गाजियाबाद।
3. सुरेश कुमार सिंह पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी साँखवीर थाना भिटि अम्बेडकर नगर वर्तमान पता सेवा धाम कृष्णाविहार गली न0 7 गाजियाबाद।
4. संजय श्रीवास्तव पुत्र कन्हैयालाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम बडा बढैया थाना वाल्टर गंज जिला बस्ती वर्तमान पता अभय खण्ड 3 थाना इन्दापुरम गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 109/2021 धारा 420 भादवि व भारतीय चिकित्सा अधि0 धारा 15(2) व 15(3) एवं औषधी अधिनियम 1940 धारा 18/27 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

नकली कोरोना वैक्सीन व अन्य उपकरण



2-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा 03 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 कार मय 23 पेटी मस्ताना ब्राण्ड हरियाणा मार्का बरामद।

दिनांक 16/02/2021 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शराब तस्कर अभियुक्त 1. महेश पुत्र सुकन निवासी मोर थाना टप्पल अलीगढ़ 2. बंटी पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी मोर थाना टप्पल अलीगढ़ 3. मनोज पुत्र प्रेमचंद निवासी मोर थाना टप्पल अलीगढ़ को थाना क्षेत्र के डिवाडर रोड तिरथली जाने वाले रोड पर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 क्यूआनटो महिंद्रा कार नम्बर एचआर 51 एयू 5309 मय 23 पेटी मस्ताना ब्राण्ड हरियाणा मार्का बरामद कि गई है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. महेश पुत्र सुकन निवासी मोर थाना टप्पल अलीगढ़।
2. बंटी पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी मोर थाना टप्पल अलीगढ़।

3. मनोज पुत्र प्रेमचंद निवासी मोर थाना टप्पल अलीगढ़।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 39/2021 धारा 63/72 आबकारी एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 महिंद्रा क्यूआनटो कार नम्बर एचआर 51 एयू 5309

2. 23 पेटी मस्ताना ब्राण्ड हरियाणा मार्का



3- थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।


दिनांक 17.02.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त माजू चौहान उर्फ वरूण चौहान उर्फ देवेश चौहान पुत्र मुबारिक ग्राम औरंगाबाद रसूलपुर थाना भावनपुर जिला मेरठ को थाना क्षेत्र के एबीसीडी चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो लोन दिलाने के नाम पर कम्पनी चलाकर एनसीआर क्षेत्र में आये दिन ठगी की घटनायें कारित करता है।

अभियुक्त का विवरण:

माजू चौहान उर्फ वरूण चौहान उर्फ देवेश चौहान पुत्र मुबारिक ग्राम औरंगाबाद रसूलपुर थाना भावनपुर जिला मेरठ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 151/21 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।



4- थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा ग्राम सर्फाबाद में हुए पप्पू हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 17/02/2021 को थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा ग्राम सर्फाबाद में हुए पप्पू हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 बाल अपचारियों को उनके निवास स्थान से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

घटना का विवरण:

दिनांक 16/10/2020 को वादी रामसुहावन पुत्र रामईया निवासी टिकरी थाना चन्देला जिला छतरपुर म0प्र0 वर्तमान निवासी ग्राम सर्फाबाद सेक्टर 73 नोएडा ने आकर सूचना दी थी कि उसका पुत्र पप्पू उम्र करीब 10 वर्ष दिनांक 11/10/2020 को शाम को घर से खेलने के लिए गया था, जो घर वापस नहीं आया है। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर 49 पर मु0अ0सं0 860/20 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 18/10/2020 को ग्राम सर्फाबाद में एक निर्माणधीन मकान में अपहृत पप्पू का शव बरामद हुआ था जिसके बाद अभियोग में धारा 302/201/364 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी। अपचारियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 11/10/2020 को वह पप्पू को ग्राम सर्फाबाद में ही एक निर्माणधीन मकान में लेकर गये थे तथा उनके द्वारा पप्पू के साथ दुराचार किया गया था। जब पप्पू ने

इसका विरोध किया तथा अपने घर बताने की बात कही तो उन्होने पप्पू का गला एक रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को कपडे से ढक कर उसके उपर मिट्टी व ईटे रखकर शव को छिपाकर चुपचाप वहां से निकल गये थे।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 860/2020 धारा 302/201/364/377 भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।

इस घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपायुक्त नोएडा द्वारा ₹25000 का इनाम देने की घोषणा की गई है।

5-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा फ्लैट देने के नाम पर धोखाधडी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.02.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 726/20 धारा 420/ 467/ 468/471/406 भादवि में वांछित अभियुक्त गौतम मेहरा पुत्र पवन मेहरा निवासी मकान नं. ए 20 असल विल्लास, सतबरी थाना महरौली छतरपुर दक्षिण दिल्ली को जिन्जर होटल तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा इन्द्रापुरम कनावनी में पेवोरियल प्रोजेक्ट में फ्लैट देने के नाम पर कन्सट्रक्शन लिंक प्लान में बेचे जा रहे थे जबकि उपरोक्त स्थान पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है तथा विकास प्राधिकरण से उपरोक्त प्रोजेक्ट की अनुमति प्राप्त नहीं है ।

अभियुक्त का विवरण:

गौतम मेहरा पुत्र पवन मेहरा निवासी मकान नं. ए 20 असल विल्लास, सतबरी थाना महरौली छतरपुर दक्षिण दिल्ली।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 726/20 धारा 420/467/468/471/406 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।



उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17.02.2021 को पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा द्वारा दनकौर क्षेत्र की SDRV CONVENT स्कूल में पढने वाली छात्राओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम "अपराजिता" का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढने वाली छात्राओं को प्रेरित करना था ताकि वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक व उज्वल भविष्य बनाने हेतु प्रेरित किया गया तथा सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर यदि कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस तक पहुंचने के सुगम तरीके जैसे डायल 112, वूमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में SDRV CONVENT स्कूल के मैनेजर श्री संदीप कुमार जैन व प्रिंसिपल श्रीमती गार्गी घोष एवं द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल श्री जिले सिंह व स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। तथा करीब 350 स्कूली छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहां मौजूद लोगों द्वारा महिला सुरक्षा इकाई की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने आश्चस्त किया कि महिला सुरक्षा इकाई गौतमबुद्धनगर महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर थाना दनकौर की महिला सुरक्षा टीम व अन्य पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे।



